संख्या–1663/9–आ–3–01–42विविध/99(आ.ब.)

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक–10 अप्रैल, 2001

विषयः फिल्म नीति–1999 के अनुरूप मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4218/9–आ–3–99–42 विविध/99 दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2(ii) में यह प्राविधानित है कि मल्टीप्लेक्स का निर्माण वाणिज्यिक, आवासीय, औद्योगिक (केवल प्रदूषणमुक्त व संकटरहित लघु एवं सेवा उद्योग) भू–उपयेाग तथा महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में इस प्रयोजन हेतु चिन्हित ऐसे स्थलों पर अनुमन्य होगा जो नीचे प्रस्तर– (iv) तथा (v) में निर्धारित भूखण्ड के न्यूनतम आकार तथा सड़क की न्यूनतम चौड़ाई सम्बन्धी शर्तों को पूर्ण करते हों।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु आरक्षित ऐसे स्थल जो पूर्व में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान का भाग हैं, में भूखण्ड के न्यूनतम क्षेत्रफल एवं सड़क की न्यूनतम चौड़ाई सम्बन्धी शर्तें लागू किया जाना युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि ऐसे स्थलों हेतु शासन की नीति के अनुरूप भूमि के आवंटन अथवा भू–उपयोग की अनुमन्यता के रूप में कोई छूट/सुविधा निहित नहीं है।

3. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 4218/9–आ–3–99–42 विविध/99 दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर–2(ii) में तत्काल प्रभाव से निम्न संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है :–

2(ii) "**अनुमन्य स्थल** : मल्टीप्लेक्स का निर्माण वाणिज्यिक, आवासीय, औद्योगिक (केवल प्रदूषणमुक्त व संकटरहित लघु व सेवा उद्योग) में ऐसे स्थलों जो नीचे प्रस्तर (iv) एवं (v) की शर्तों को पूर्ण करते हों पर अनुमन्य होगा। जबकि महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान जो सक्षम स्तर से पूर्व में ही अनुमोदित हैं, में मल्टीप्लेक्स के प्रयोजनार्थ चिन्हित स्थलों हेतु उक्त शर्तें लागू नहीं होंगी। परन्तु भविष्य में नया ले–आउट प्लान बनाते समय इन शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।''

4. कृपया शासनादेश संख्या 4218/9–आ–3–99–42 विविध/99 दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए एवं मल्टीप्लेक्स के निर्माण की अनुज्ञा प्रदत्त करने हेतु तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या 1663(1)/9—आ—3—99—42(आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, औद्योगिक विकास एवं अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु।
4. सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, पिकप (फण्ड मैनेजर, फिल्म निधि)।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
11. अपर निदेशक, नियोजन, उ0प्र0 आवास बन्धु।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या 1663(1)/9—आ—3—99—42(आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियन्त्रक प्राधिकारियों और नियत प्राधिकारियों को उपर्युक्त निदेशों के क्रम में आवश्यक व्यवस्था एवं उसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव